nwda.gov.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022022-233309
CG-DL-E-11022022-233309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

संचालन समिति (एससी) और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन

(I) संचालन समिति

फा. सं. एन-67037/4/2018-बीएम.—राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अधीन एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अनुमोदन के परिणाम स्वरूप)भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश (म.प्र) और उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) की राज्य सरकारों की संयुक्त परियोजना के रूप में केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन हेतु 22.03.2021 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) के आधार पर, निम्नलिखित संरचना वाली एक संचालन समिति (एससी) का गठन किया जाता है:

1.	सचिव, ज.सं.न.वि.व गं.सं.विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार,	अध्यक्ष
2.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामित	सदस्य
3.	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामित	सदस्य
4.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के या उनके द्वारा नामित	सदस्य
5.	सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामित	सदस्य

6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.)।	सदस्य
9.	सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
10.	सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी), ज.सं.न.वि.व गं.सं.विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ)।	सदस्य
13.	महानिदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण।	सदस्य
14.	महानिदेशक, वन/वन्यजीव/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।	सदस्य
15.	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।	सदस्य
16.	अभियंता प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
17.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव मध्य प्रदेश सरकार।	सदस्य
18.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
19.	नीति आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
20.	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ	सदस्य-सचिव

2. संचालन समिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को संचालन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है जो कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक हों।

3. संचालय समिति के सचिवालय का समस्त व्यय केबीएलपी की लागत से प्रभारित किया जाएगा।

4. संचालय समिति निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करेगी:

क) एमओए के प्रावधानों का अनुपालन;

ख) केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) की मौलिक प्रशासनिक नीतियों को मंजूरी;

ग) केबीएलपीए के प्रस्ताव पर उप-नियमों की स्थापना और कर्मियों के संबंध में प्रशासनिक नीतियों और मानदंडों को मंजूरी;

घ) बुनियादी सेवाओं के लिए संगठनात्मक योजना की स्थापना;

ङ) भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से केबीएलपीए की संपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन;

च) दायित्वों और ऋणों के संबंध में केबीएलपीए द्वारा किए गए प्रस्ताव पर निर्णय लेना;

छ) केबीएलपीए के प्रस्ताव पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट और उसके संशोधनों का अनुमोदन;

ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट, अगले वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट और इसके अंतिम संशोधनों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण की जांच और अनुमोदन करना।

झ) जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार बैठक,लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना।

ञ) सदस्यों के बीच किसी रिक्ति के होने पर या किसी सदस्य के नामांकन में किसी भी दोष के कारण संचालन समिति का कोई कार्य या निर्णय या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। जब अपरिहार्य हो, प्राधिकरण की बैठक बुलाने के लिए कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा।

ट) परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशासन, प्रबंधन और माल और सेवाओं की खरीद के लिए अपने स्वयं के प्रशासनिक और वित्तीय दिशानिर्देश तैयार करना।

ठ) भारत सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य करना।

5. कार्यान्वयन स्तर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का समाधान संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। संचालन समिति स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवाद को केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को भेजा जाएगा जिसमें दोनों राज्यों के जल संसाधन/जल शक्ति मंत्री का प्रतिनिधित्व होगा ।

(II) केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए)

केबीएलपी का कार्यान्वयन भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), नामत: केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि 22 मार्च,2021को केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओए) में निर्दिष्ट है। इसलिए, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए, या प्राधिकरण) नामक एक प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय (ज.श.मं.), भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) के एक कार्यक्षेत्र के रूप में गठित किया गया है। केबीएलपीए की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:

1.2 केबीएलपीए की अध्यक्षता भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करेंगे। सीईओ को संयुक्त सचिव/मुख्य अभियंता स्तर के पांच अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और एक निदेशक (वित्त) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, नामत:;

(i) अपर सीईओ (मुख्यालय/योजना) - राजविअ से

(ii) अपर सीईओ (नहर)

(iii) अपर सीईओ (पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुन:स्थापना और भूमि अधिग्रहण)

(iv) अपर सीईओ (विद्युत एवं मैकेनिकल) और

(v) अपर सीईओ (हेड वर्क्स)

(vi) निदेशक (वित्त)

1.3 समान परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन में व्यापक अनुभव रखने वाले सीईओ और एसीईओ को प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। ये अतिरिक्त पद [एक सीईओ, पांच एसीईओ और निदेशक (वित्त)] केवल परियोजना निर्माण कार्यान्वयन चरण के दौरान संचालित किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्रत्येक के एक मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी, जो नहर और हेड वर्क्स की योजना और डिजाइन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों से एक मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी जो नहर के निष्पादन, वितरण प्रणाली और कमांड क्षेत्र के विकास में विशेषज्ञता रखते हों, को केबीएलपीए के एसीईओ के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

1.4 केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए सारी केंद्रीय सहायता राशि को केबीएलपीए के माध्यम से भेजा जाएगा, जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मोड के अधीन काम करेगा।

1.5 केबीएलपीए को राजविअ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा सहायता दी जाएगी।

1.6 अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्यालय/योजना) राजविअ से मुख्य अभियंता के स्तर पर एक अधिकारी होगा।

1.7 राजविअ की मौजूदा स्थापना से एक सर्किल कार्यालय, अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में, इसके प्रभाग कार्यालयों के साथ केबीएलपीए के कामकाज में शामिल होंगे।

1.8 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें केबीएलपीए को सहायता देने के लिए आवश्यक सर्किल स्तर और मंडल स्तर के कार्यालय निर्धारित करेंगी।

1.9 केबीएलपीए को सहायता करने वाले कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान संबंधित राज्य सरकार और राजविअ द्वारा किया जाएगा और केबीएलपीए द्वारा वार्षिक रूप से वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। केबीएलपीए के लिए काम कर रहे राज्यों/राजविअ कर्मचारियों के लिए इन कार्यालयों के संचालन और परियोजना भत्ते के रूप में स्वीकार्य परियोजना भत्ता सीधे केबीएलपीए द्वारा वहन किया जाएगा।

1.10 सीईओ, एसीईओ और निदेशक (वित्त) को भारत सरकार द्वारा पहली बार नामांकन के आधार पर 2 (दो) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद, नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/पीएसयू आदि में नियुक्ति के भारत सरकार के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध के आधार पर या जैसा कि संचालन समिति द्वारा तय किया जाएगा, की जाएंगी। संचालन समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर इन नियुक्तियों के लिए अलग से भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्तीय पृष्ठभूमि का एक निदेशक स्तर का अधिकारी अपेक्षित सहायक स्टाफ के साथ प्राधिकरण के सभी वित्तीय मामलों में सीईओ की सहायता करेगा।

2. केबीएलपीए संचालन समिति के निर्देश के अनुसार अपने स्वयं के विनियमन और व्यवसाय के नियम तैयार करेगा। यह केबीएलपी की कार्य आवश्यकता के अनुसार संचालन समिति के अनुमोदन उपरान्त अपने कार्यालय खोलेगा।

3. केबीएलपी के पूरा होने के बाद प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

4. केबीएलपीए और संचालन समिति का खर्च केबीएलपी से वसूल किया जाएगा। केबीएलपीए और संचालन समिति के व्यय का राज्य हिस्सा दिनांक 22 मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित एमओए के खंड 6.1.1 में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच लागत के वितरण के अनुसार मध्यप्रदेश द्वारा 71 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश द्वारा 29 प्रतिशत किया जाएगा।

5. केबीएलपीए दौधन बांध, बिजली घर, सुरंगों और केन-बेतवा लिंक जल वाहक के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा जैसा कि 22 मार्च, 2021 के एमओए के खंड 7.1 में निर्दिष्ट है और केबीएलपी के समग्र कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगा।

6. राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के लिए, केबीपीएलए वित्तीय और कार्य योजना, निधि जारी करने, पर्यवेक्षण आदि के लिए उनके साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करेगा।

7. परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, संबंधित राज्य सरकार की नीति एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

Constitution of Steering Committee (SC) and Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA)

I. Steering Committee

F. No. N-67037/4/2018-BM.—Consequent upon approval of implementation of the Ken-Betwa Link Project (KBLP) as a National Project under National Perspective Plan (NPP), as a joint project of Government of India and the State Governments of Madhya Pradesh (MP) and Uttar Pradesh (UP), based on the tripartite Memorandum of Agreement (MoA) signed on 22.03.2021, a Steering Committee (SC) is hereby constituted having the following composition:

1.	Secretary, DoWR,RD&GR, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India, New Delhi	Chairman
2.	Secretary, Ministry of EF&CC, Govt. of India or his nominee	Member
3.	Secretary, Deptt of Expenditure, Ministry of Finance, Govt. of India or his nominee	Member
4.	Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India or his nominee	Member
5.	Secretary, Ministry of Power, Govt. of India or his nominee	Member
6.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, WRD, Govt. of MP	Member

7.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, I &WRD, MoJS, Govt. of UP	Member
8.	Chairman, Central Water Commission (CWC)	Member
9.	Member (WP&P), Central Water Commission	Member
10.	Member (D&R), Central Water Commission	Member
11.	Joint Secretary (RD&PP), DoWR,RD&GR, Ministry of Jal Shakti, New Delhi	Member
12.	Director General, National Water Development Agency (NWDA)	Member
13.	Director General, National Tiger Conservation Authority	Member
14.	Director General, Forest/Wildlife/MoEF&CC	Member
15.	Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Govt. of MP	Member
16.	Engineer-in-Chief and HoD, I&WRD, MoJS, Govt. of UP	Member
17.	Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife, Govt. of MP	Member
18.	Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife, Govt. of UP	Member
19.	A representative from NITI Aayog	Member
20.	Chief Engineer, NWDA (Hq)	Member-Secretary

2. The SC may invite such other persons to participate in the meetings of the Steering Committee as may be necessary, based on the functional needs.

3. All the expenses of the secretariat of the SC shall be charged to the cost of KBLP.

4. The SC shall carry out the following specific tasks:

(a) Comply with the provisions of the MoA;

(b) Approve the fundamental administrative policies of the Ken Betwa Link Project Authority (KBLPA);

(c) Establish bye-laws, upon motion of the KBLPA and approve administrative policies and norms regarding personnel;

(d) Establish the organisational plan for basic services;

(e) Revalue assets and liabilities of KBLPA in consultation with the GoI and concerned State Governments;

(f) Decide on proposal made by the KBLPA regarding obligations and loans;

(g) Approve the budget and its amendments for each financial year, upon motion of the KBLPA;

(h) Examine and approve the budget for each financial year, the proposed budget for the next financial year or fiscal year and its eventual amendment, as well as the annual report, audited financial statement for the previous financial year, drawn up by the Authority.

(i) Meet as often as necessary, but not less than twice in a calendar year.

(j) No act or decisions or proceedings of the SC shall be invalid by reasons of the existence of any vacancy among the members or any defects in nomination of a member. When unavoidable, the quorum to convene a meeting of the Authority shall be 2/3rd of the total members.

(k) Framing its own administrative and financial guidelines for administration, management and procurement of goods and services for the successful implementation of the project.

(l) Any other tasks assigned by the GoI.

5. Any operational issue arising at the implementation stage shall be resolved by the Steering Committee. Any dispute arising at SC level shall be referred to High Level Committee headed by Union Minister (Jal Shakti) and represented by Water Resources/Jal Shakti Ministers of both the States.

(II) Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA)

Implementation of KBLP shall be undertaken jointly by Government of India and State Governments of MP and UP through a Special Purpose Vehicle (SPV), i.e., Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA) as specified in Memorandum of Agreement (MoA) signed on 22nd March,2021 for implementation of Ken-Betwa Link Project. Therefore, an Authority named the Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA, or Authority) is hereby constituted as a vertical of National Water Development Agency (NWDA) under Ministry of Jal Shakti (MoJS), Government of India. The organizational structure of KBLPA shall be as given below:

1.2 The KBLPA shall be headed by Chief Executive Officer (CEO) at the level of Additional Secretary to Government of India. CEO will be assisted by five Additional Chief Executive Officers at the level of Joint Secretary/Chief Engineer and one Director (F) namely;

(i) Additional CEO (HQ/Planning) - from NWDA

(ii) Additional CEO (Canals)

(iii) Additional CEO (Environment, R&R and Land acquisition)

(iv) Additional CEO (Elect &Mech) and

(v) Additional CEO (Head Works)

(vi) Director (Finance)

1.3 The CEO and ACEOs having wide experience in the planning and execution of similar projects shall be engaged on deputation or contractual basis. These additional posts [one CEO, five ACEOs and Director (F)] shall be operated during the project construction/implementation phase only. In addition to above, one CE/SE level officer, each from states of MP and UP, having expertise in the field of planning and designing of canal and head works and one CE/SE level officer each from the states of MP and UP having expertise in the execution of canal, distribution system and command area development, shall be co-opted as ACEOs to the KBLPA.

1.4 All the central support funds for the implementation of KBLP shall be routed through KBLPA, which shall function under Treasury Single Account (TSA) mode.

1.5 The KBLPA shall be supported by NWDA, State Governments of MP and UP and Project Management Consultant.

1.6 The Additional Chief Executive Officer (HQ/ Planning) will be an officer at the level of Chief Engineer from NWDA.

1.7 Existing set up of NWDA i.e. One Circle Office, headed by Superintending Engineer, with its divisional offices will be involved in the functioning of KBLPA.

1.8 The State Governments of MP and UP shall earmark required circle level and division level offices to support the KBLPA.

1.9 The salary of employees working in the offices supporting the KBLPA shall be paid by respective State Governments and NWDA and shall be reimbursed by KBLPA on actual basis annually. The expenses for the running of these offices and the project allowance, as admissible, to the States/NWDA employees working for KBLPA shall be borne directly by KBLPA.

1.10 The CEO, ACEOs and Director (F) shall be appointed by GoI initially for a period of 2 (two) years for the first time on nomination basis. Subsequently, the appointments shall be made from Central Government /State Government/PSU etc. as per prevailing terms & conditions of GoI or as may be decided by the Steering Committee on deputation/contractual basis. Separate recruitment rules for these engagements on deputation/contract basis will be finalized by the Steering Committee. One Director level officer of finance background, along with requisite supporting staff, will assist the CEO in all the financial matters of the Authority.

2. The KBLPA shall frame its own regulation and rules of business as per directions of Steering Committee. It will establish its offices as per work requirement of the KBLP, and approved by the Steering Committee.

3. The Authority would cease to exist after completion of the KBLP.

4. The expenditure of the KBLPA and Steering Committee shall be charged to the KBLP. The state share of the expenditure of KBLPA and SC shall be charged as per distribution of the cost between the states of MP and UP, specified in Clause 6.1.1 of MoA dated 22nd March, 2021 i.e. 71 percent by MP and 29 percent by UP.

5. KBLPA shall be responsible for execution of Daudhan dam, power house, tunnels and Ken-Betwa link water carrier as specified in the clause 7.1 of MoA dated 22ndMarch, 2021 and shall also be responsible for overall implementation of KBLP.

6. For works under implementation by the States, the KBPLA shall coordinate regularly with them for financial and works planning, fund releases supervision etc.

7. The rehabilitation and resettlement (R&R) of project affected families and land acquisition for the projects within their territorial jurisdiction shall be carried out by respective State Governments in a time bound and transparent manner as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the respective State Government Policy and as per Environmental Management Plan.

SANJAY AWASTHI, Jt.Secy. (RD&PP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.11 16:46:09 +05'30'